अपील सूचना अधिकार संख्या 31/2016 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23–के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी वाचक शाखा कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

24–04–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित है। बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 22.01.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी वाचक शाखा, जिला कलक्टर कार्यालय, श्रीगंगानगर से चाही गई 5 बिन्दूओ की सूचनांओ के संबंध में उनके द्वारा अपने पत्र सं0 379 दिनांक 17.02.16 से जो सूचना उपलब्ध करवाई गई है उसमें बिन्दु सं0 1, 2, 4 व 5 की सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है, जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि का है कि अपीलार्थी द्वारा जिन 5 बिन्दुओ की सूचना चाही गई है उनका बिन्दुवार उत्तर दिनांक 17.02.2016 को समय अवधि में दिया जा चुका है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 22.01.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी वाचक शाखा, जिला कलक्टर कार्यालय, श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः–

1. उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्रीगंगानगर के पत्रांक 107 दिनांक 04.01.2016 आपके कार्यालय में पहुचंने की तारीख व आर.आर नम्बर व दिनांक की सूचना।
2. पत्र पहुंचने से इस आवेदन का जवाब देने तक जो जो कार्यवाही श्रीमान द्वारा की गयी है उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. पत्रांक 107 दिनांक 04.01.2016 के साथ सलंग्न पत्रांक प्रार्थी की प्रमाणित प्रतिलिपि पत्रांक प्रार्थी की प्रमाणित प्रतिलिपि पत्रांक 5590 दिनांक 30.12.2015 व पत्रांक 5589 दिनांक 30.12.2015 व पत्रांक 5591 दिनांक 30.12.2015.
4. बिन्दु सं0 3 में वर्णित पत्रांको पर आप द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
5. पत्र पर कार्यवाही न करने की अवस्था में उस विभागीय नियम की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी वाचक शाखा, जिला कलक्टर कार्यालय, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र सं0 379 दिनांक 17.02.2016 के द्वारा अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया हैः–

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

क0सं0	चाही गई सूचना	उत्तर
1.	उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्रीगंगानगर के पत्रांक 107 दिनांक 04.01.2016 आपके कार्यालय में पहुचंने की तारीख व आर.आर नम्बर व दिनांक की सूचना।	पत्र सं0 107 दि0 04.01.16 में अंकित आपके पत्रांक 5590 दि0 30.12.15 का आर/आर न0 2835/31.12.15 व पत्रांक 5591 दि0 30.12.15 का आर/ आर न0 2837/31.12.15 है। आपका पत्रांक 5589 दि0 30.12.15 इस कार्यालय में प्राप्त नही हुआ है।
2.	पत्र पहुंचने से इस आवेदन का जवाब देने तक जो जो कार्यवाही श्रीमान द्वारा की गयी है उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि।	चाही गई सूचना प्रश्नात्मक है।
3.	पत्रांक 107 दिनांक 04.01.2016 के साथ सलंग्न पत्रांक प्रार्थी की प्रमाणित प्रतिलिपि पत्रांक प्रार्थी की प्रमाणित प्रतिलिपि पत्रांक 5590 दिनांक 30.12. 2015 व पत्रांक 5589 दिनांक 30.12. 2015 व पत्रांक 5591 दिनांक 30.12. 2015.	आपके पत्रांक 5590 दि0 30.12.15 व 5591 दि0 30.12.15 कुल 2 पृष्ट के है जिनकी प्रमाणित प्रतिलिपियों के लिए 2रूपय प्रति पृष्ट की दर से कुल 4 रूपये की राशि या पोस्टल ऑर्डर इस कार्यालय में जमा करवाकर प्राप्त कर सकते है।
4.	बिन्दु सं0 3 में वर्णित पत्रांको पर आप द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।	चाही गई सूचना प्रश्नात्मक है।
5.	पत्र पर कार्यवाही न करने की अवस्था में उस विभागीय नियम की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।	सूचना दिया जाना अपेक्षित नही है।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिये गये उक्त उत्तर से स्पष्ट है कि बिन्दु संख्या 1 की सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है और बिन्दु सं0 3 की 2 पृष्टो की सूचना के लिए चार रूपये की राशि जमा करवाने के लिए अपीलार्थी को लिखा गया है। अपीलार्थी को 4 रूपये की राशि जमा करवाकर सूचना प्राप्त करनी चाहिए। शेष बिन्दु संख्या 2, 4 व 5 में चाही गई सूचना कोई निश्चित व स्पष्ट सूचना नही है और प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, वाचक शाखा, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उतर दिनांक 17.02.2016 सही है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। फिर भी सूचना अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए लोक सूचना अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि उनके कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख से यदि अपीलार्थी निरीक्षण कर कोई सूचना लेना चाहे तो उसे नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी वाचक शाखा, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर को मय संबंधित रिकार्ड सहित पालनार्थ लौटाया जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 24.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर